

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 20/2022

अनवान : -

1. बलवीरसिंह पुत्र दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. दिवानसिंह पुत्र खुबराम जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
2. दर्शनादेवी पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
3. प्रेमा पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
5. तारोदेवी पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
6. सीता पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।


प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रोहताष व वकील प्रतिवादी श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 81/106 के मु0 न0 48 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 20 की कुल 3.0360 है0 में प्रतिवादी सं0 1 दिवानसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 1 दिवानसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी बलवीरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/22..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.



मि0न0 -20/2022

अनवान : -

1. बलवीरसिंह पुत्र दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. दिवानसिंह पुत्र खुबराम जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
2. दर्शनादेवी पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
3. प्रेमा पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
5. तारोदेवी पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
6. सीता पुत्री दिवानसिंह जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रोहताष शर्मा वादी
श्री महावीर सिंह प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 27/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 81/106 के मु0 न0 48 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 20 की कुल 3.0360 है0 में प्रतिवादी सं0 1 दिवानसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं व हिन्दू विधि से शासित हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा खुबराम की खातेदारी हुआ करती थी। खुबराम के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 8 के द्वारा जवाब पेश किया गया।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में बलवीरसिंह के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 5 एमआरएन प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 जमाबंदी 5 एमआरएन प्रदर्श 3 व अन्य जमाबंदी प्रतिवादी दिवानसिंह के नाम प्रदर्श 4 करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं० 81/106 के मु० न० 48 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 20 की कुल 3.0360 है० में प्रतिवादी सं० 1 दिवानसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है जो प्रस्तुत दस्तावेज से साबित है। प्रतिवादी 1 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं० 81/106 के मु० न० 48 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 20 की कुल 3.0360 है० में प्रतिवादी सं० 1 दिवानसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 दिवानसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी बलवीरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला हनुमानगढ़) (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़